राँची, 12 दिसम्बर, 2009

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल

झारखंड, राँची ।

विषय : भारत सरकार के लोक उपक्रम दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डी.वी.सी.) की इकाई बोकारो थर्मल पावर स्टेशन (बी.टी.पी.एस.) द्वारा दो नदियों, कोनार एवं दामोदर, का प्रदूषण।

मान्यवर,

विगत 10, 11 एवं 12 दिसम्बर 2009 को बी.टी.पी.एस. ने अपने ऐश पौंड–1 और 3 की पूरी छाई एवं राख सीधे कोनार नदी में गिरा दिया जो नदी की तलहटी पर 150 मीटर की परिधि में ढेर के रूप में पसर गई है। इसके अलावा कुछ समय पहले ऐश पौंड–1 की दीवाल टूट जाने के कारण पूरा मलवा एवं बोल्डर कोनार नदी में पहाड़ की तरह पसर गया है, जिससे जल प्रवाह अवरुद्ध हो गया है। इसकी सूचना मिलने पर मैं 13 दिसम्बर 2009 को वहां गया था। घटना स्थल की रिकार्डिंग एक सीडी में की गई है, जिसे मैं इस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर रहा हूँ।

इस बारे में मैंने 12 दिसम्बर 2009 को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सी.आर. सहाय से बात किया। घटना की जानकारी लेने के बाद उन्होंने बताया कि बी.टी.पी.एस. को दर्जनों कारण पृच्छा नोटिस झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिया गया है परंतु प्रबंधन पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जिस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषक इकाईयों के विरुद्ध कार्रवाई करने का पर्याप्त अधिकार मिला है उसकी स्थिति जब बेबस मूकदर्शक की बनी हुई है तो राज्य में प्रदूषण नियंत्रण कैसे संभव होगा?

करीब दो वर्ष पूर्व रांची उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर झारखंड सरकार के मुख्य सचिव की तदर्थ नियुक्ति का आदेश किया मगर इस अवधि में भी प्रदूषकों पर लगाम नहीं कसी जा सकी। बी.टी.पी.एस. ने तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए रांची उच्च न्यायालय में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। इसकी भी घोर अवहेलना बी.टी.पी.एस. प्रबंधन कर रहा है।

13 दिसम्बर 2009 को मैंने इस बारे में बी.टी.पी.एस. प्रबंधन से बात किया तो उन्होंने कई मामलों में अनभिज्ञता जाहिर किया और कारण बताया कि पूर्व का प्रबंधन बदल गया है और उनका स्थानांतरण यहां हाल में ही हुआ है, इसलिए उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जब मैंने बी.टी.पी.एस. की तीनों चिमनियों से लगातार काला धुंआ निकलने के बारे में जानकारी चाहा तो प्रबंधन द्वारा बताया गया कि उनका ई.एस.पी. कम क्षमता को होने के कारण इसे रोकने में सक्षम नहीं है।

महोदय एक ओर कोपेनहेगेन में दुनियां के 108 देश इकट्ठा होकर कार्बन उत्सर्जन का नियंत्रण की कवायद कर रहे हैं तो दूसरी ओर भारत सरकार का एक उपक्रम डी. वी.सी. ने अपने ताप बिजली घरों को वायु एवं जल का प्रदूषण करने के लिए उन्हें बेलगाम छोड़ दिया है। ऐसे प्रतिष्ठानों का एक मिनट भी चालू रहना प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का माखौल है। इतना हीं नहीं जमशेदपुर चौका के बीच एन.एच.-33 के किनारे तथा सरायकेला, रामगढ़ एवं गिरिडीह जिलों एवं अन्य स्थानों पर लगी स्पौंज आयरन इकाईयों की चिमनियों से तो लगातार काला और लाल धुंआ की आंधी निकलती दिखाई पड़ती है।

मुझे पीड़ा है कि इस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैंने आपसे मिलने हेतु 10, 11, 12 दिसम्बर 2009 में से किसी भी दिन समय निर्धारित करने के लिए लिखित आग्रह किया था। राजभवन से मुझे दूरभाष पर बताया गया कि 23 दिसम्बर 2009 से पहले महामहिम से मुलाकात संभव नहीं है। आखिर क्यों? क्या जनहित एवं जनस्वास्थ्य के मुद्दों पर राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मिलने से मनाही केवल इसलिए है कि मिलने वाला व्यक्ति सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ है। शासन-प्रशासन के अधिनस्थ पदाधिकारी जब ऐसे मुद्दों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल के अतिरिक्त इन्हें कहां उठाया जाए?

इस संबंध में प्रमाण सहित बी.टी.पी.एस. प्रदूषण की जानकारी मैं इस पत्र के साथ संलग्न सीडी के माध्यम से आपको इस उम्मीद के साथ सौंप रहा हूं कि आप नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करेंगे।

सादर,

भवदीय

(सरयू राय)